

# न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : हरि मोहन मीना, आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या - 40 / 2022

(Bank Case)

GCMS No. 2022 / 70

एस्पायर हॉम फाइनेन्स कार्पोरेशन लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय- मोती लाल ओसवाल टॉवर, रहीमतुल्लाह सयानी रोड, अपोजिट परेल एसटी डिपो, प्रभा देवी मुम्बई- 400025 एवं शाखा कार्यालय- 510-511, 5 वीं मंजिल, आरकेड बिल्डिंग, मालवीया मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302001 स्थित व कार्यरत है। जरिये प्राधिकृत अधिकारी विरेन्द्र सिंह।  
- प्रार्थी / सिक्क्योर क्रेडिटर

## बनाम

- जावेद खान पुत्र श्री अब्दुल जब्बार (ऋणी-बंधककर्ता)  
पता:-रेलवे फाटक के पास, सुभाश कॉलोनी, रामगंजमण्डी, कोटा राजस्थान - 326519
- अब्दुल जब्बार पुत्र श्री मोइनुद्दीन अंसारी (सहऋणी-बंधककर्ता)  
पता- रेलवे फाटक के पास, सुभाश कॉलोनी, रामगंजमण्डी, कोटा राजस्थान
- रजिया सुल्तान पत्नि श्री जावेद खान (सहऋणी)  
पता- रेलवे फाटक के पास, सुभाश कॉलोनी, रामगंजमण्डी, कोटा राजस्थान
- एजाज अहमद अंसारी पुत्र श्री अब्दुल जब्बार (सहऋणी)  
पता- रेलवे फाटक के पास, सुभाश कॉलोनी, रामगंजमण्डी, कोटा राजस्थान  
- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थित:-

श्री कुलदीप सिंह जादौन, अभिभाषक प्रार्थी

## आदेश

दिनांक: 17/10/2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी एस्पायर हॉम फाइनेन्स कार्पोरेशन लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय- मोती लाल ओसवाल टॉवर, रहीमतुल्लाह सयानी रोड, अपोजिट परेल एसटी डिपो, प्रभा देवी मुम्बई-400025 एवं शाखा कार्यालय- 510-511, 5 वीं मंजिल, आरकेड बिल्डिंग, मालवीया मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302001 में स्थित है, से अप्रार्थीगण ने प्रार्थी वित्तीय संस्था से दिनांक 30.10.2017 को 9,20,727/- रुपये (अक्षरे नौ लाख बीस हजार सात सौ सत्ताईस रुपये) का ऋण लिया था। अप्रार्थी संख्या 2 ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्क्योरिटी के रूप में श्री अब्दुल जब्बार पुत्र श्री माइनुद्दीन अंसारी की अचल सम्पत्ति जो कि एक आवासीय भूखण्ड नम्बर 07, उत्तम कॉलोनी (खसरा नम्बर- 655), नाका खैराबाद रोड के सामने, रामगंजमण्डी, कोटा राजस्थान में स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा, आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग हैं। जिसका कुल क्षेत्रफल 1800 स्क्वायर फीट है। चतुर्थ सीमा- पूर्व में- रास्ता 15 फुट, पश्चिम में- प्लॉट नं. 30, उत्तर में- प्लॉट संख्या 8, दक्षिण में- प्लॉट नं. 6 है, को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी

जिला मजिस्ट्रेट  
कोटा (राज०)

का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिगत व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 04.05.2021 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थी द्वारा उसके खाते में बकाया राशि— 10,11,528 /— रुपये (अक्षरे दस लाख ग्यारह हजार पाच सौ अठ्ठाईस रुपये) दिनांक 25.05.2021 तक शेष देय है व दिनांक 26.05.2021 से आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 02.06.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नहीं संभलाया है। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 02.06.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के दिनांक 02.06.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया, नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी / बंधककर्ता श्री अब्दुल जब्बार पुत्र श्री माइनुद्दीन अंसारी की अचल सम्पत्ति जो कि एक आवासीय भूखण्ड नम्बर 07, उत्तम कॉलोनी (खसरा नम्बर— 655), नाका खैराबाद रोड के सामने, रामगंजमण्डी, कोटा राजस्थान में स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा, आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका कुल क्षेत्रफल 1800 स्क्वायर फीट है। चतुर्थ सीमा— पूर्व में— रास्ता 15 फुट, पश्चिम में— प्लॉट नं. 30, उत्तर में— प्लॉट संख्या 8, दक्षिण में— प्लॉट नं. 6 है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कोटा को हस्त कायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 12/5/2022 को सुनाया गया।

(हरि मोहन मीना)  
जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

जिला मजिस्ट्रेट  
कोटा (राज०)